न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/197

1. रविन्द्र पुत्र हरिराम,
2. लच्छी पत्नी हरिराम,
3. राजेश्वरी पुत्री हरिराम,
4. सुमन लता पुत्री हरिराम,
   समस्त जाति जाट, निवासीगण भैरूपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर, राजस्थान।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर ग्रामीण, जिला सीकर।
2. योगिता पुत्री हरिराम जाति जाट, निवासी भैरूपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर।
3. महेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट, निवासी सेवा तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर, राजस्थान। **(आदेश दिनांक 08.12.2025 द्वारा)**

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या ...../2024 निर्णय दिनांक 12.02.2024 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् प्रकरण रास्ता के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाद तामील अनुपस्थित।
4. श्री हरलाल सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 11.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.02.2024 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प भैरूपुरा में पटवारी हल्का सबलपुरा, भू0अ0 निरीक्षक वृत सबलपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम भैरूपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर के आराजी खसरा नम्बर 160 कुल रकबा 3.50 है0 में से रकबा 0.0934 है0 में मौके पर प्रचलित रास्ता है। उक्त प्रचलित रास्ते का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस आदि पत्रादि के साथ उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा ग्राम भैंरूपुरा तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 160 के संबंध में राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते बाबत् दिये गये आदेशों एवं निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार

तहसीलदार के द्वारा अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव के अनुसार तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/23/181 दिनांक 16.05.2023 के साथ संलग्न भू.अ.नि. रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की 155 मीटर लम्बाई तथा 04 मीटर चौड़ाई कुल 620 वर्गमीटर अर्थात् 0.0620 हेक्टेयर भूमि रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान् की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/23/181 दिनांक 16.05.2023 के साथ संलग्न भू.अ.नि. रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 12.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट रविन्द्र पुत्र हरिराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 12.02.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि चुनौतिग्रस्त आदेश विधि विरूद्ध एवं विरूद्ध पत्रावली होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त आदेश विधि के सुविख्यात नियमों एवं सिद्धान्तों की अनदेखी करके पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। ग्राम भैरूपुरा, तहसील धोद, हाल तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 3.5000 हैक्टयर में से होकर 40 साल से रास्ता होने का कथन करते हुये दिनांक 18.10.2021 को तहसीलदार/शिविर प्रभावी तहसील धोद को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त कथित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटाण करने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार धोद ने पटवारी हल्का सबलपुरा से तथ्यों की जांच कर प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित नोर्मस में कवर होता है तद्नुसार निर्धारित प्रारूप में रास्ता प्रस्ताव भर रास्ता प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने का आदेश दिनांक 18.10.2021 को दिया। जिस पर खातेदार हरिराम उर्फ हीराराम ने इसके प्रति प्रभावी अधिकारी को आपत्ति आवेदन दिनांक 21.10.2021 को प्रस्तुत कर कथन किया की उसके खेत खसरा नम्बर 160 में से किसी भी पड़ौसी का कोई रास्ता नही है तथा कुछ व्यक्ति फर्जी तरीके से प्रशासन गॉवों के संग अभियान का फायदा उठाकर मनमर्जी से रास्ता कटवाना चाहते है। खातेदार हरिराम उर्फ हीराराम लिखित आपत्ति पर तहसीलदार धोद ने दिनांक 21.10.2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रास्ते को सार्वजनिक रूप में दर्ज नही किये जाने की अभिशंषा की, किन्तु इसके बाद भी कार्यवाही को समाप्त नही किया तथा जारी रखा जो नियमों के विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है। खातेदार हरिराम उर्फ हीराराम ने अपने खेत खसरा नम्बर 160 में अपना पुख्ता मकानात व ट्यूबवेल बना रखा है उक्त मकानात व ट्यूबवेल पर जाने का स्वयं का निजी रास्ता है जो खेत के उत्तर में स्थित जोहड़ी से अपने मकानात व ट्यूबवेल पर आने जाने का है तथा और किसी अन्य व्यक्ति के खेत में नही जाता है तथा न ही कोई प्रचलित रास्ता है तथा न ही कथित प्रचलित रास्ता आगे किसी अन्य पड़ौसी व किसी व्यक्ति के खेत में जाने की रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार ने प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 18.10.2021 को जो आवेदन शिविर प्रभारी को दिया गया उसमें अर्जुन राम व अन्य दो के हस्ताक्षर किये हुये दिखाई देते है किन्तु उनका कोई पता बलदीयत आवेदन अंकित नही है, न ही इन नामों के व्यक्ति का कोई खेत खसरा नम्बर 160 के पास है। तहसीलदार धोद की अभिशंषा के बाद भी आवेदन को खारिज न करने में भारी भूल की है।

तहसीलदार धोद द्वारा रास्ता कटाण में अंकित न करने की अभिशंषा के बाद भी पत्रावली को जारी रखा तथा इसके बाद खातेदार हरिराम उर्फ हीराराम को नोटिस दिनांक 10.01.2022 को दिनांक 20.01.2022 को उपस्थित होकर रास्ता कटाण पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी किया। जिस पर खातेदार ने दिनांक 20.01.2022 को लिखित में जवाब पेश किया कि जवाबदाता के खेत खसरा नम्बर 160 रकबा 3.5000 हैक्टयर में से किसी दीगर व्यक्ति का कोई रास्ता नही है तथा जवाबदाता का निजी रास्ता है जिससे वह अपने मकानात व ट्यूबवेल पर आना जाना करता है तथा किसी दीगर का कोई आवागमन नही है। इसलिए रास्ता कटाणा में दर्ज नही किया जावें तथा इस बाबत जिला कलेक्टर सीकर को दिनांक 20.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पड़ौसी खातेदार का रास्ता पहले से ही मौजूद है तथा मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा गलत बनाकर प्रस्तुत की गयी है इसलिए रास्ता का अंकन न किया जावें। मौके पर कोई प्रचलित रास्ता खेत खसरा नम्बर 160 में से होकर नही है तथा न ही किसी व्यक्ति व खातेदार ने रास्ता बाबत कोई शिकायत की है, किन्तु तहसीलदार महोदय ने पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट स्पष्ट अभिशंषा के पुनः भिजवाने का आदेश दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने मामले में अत्यधिक रूचि लेकर रास्ता का प्रस्ताव के लिए स्पष्ट अभिशंषा पुनः भेजने का आदेश दिया जो आदेश न्याय के प्राकृति सिद्धांत के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है एवं आदेश अपास्त होने योग्य हैं। तहसीलदार महोदय के उक्त आदेश पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की रास्ते की स्पष्ट जानकारी नही हो पायी है। जिस पर गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.05.2023 में खसरा नम्बर 160 में से पूर्व में रास्ता प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार रास्ता मौके पर चालू बताया तथा 04 मीटर चौड़ा व 155 मीटर लम्बा कुल 120 वर्गमीटर दर्ज किया जाना उचित बताकर रिपोर्ट भेजी जबकि पूर्व रिपोर्ट के अनुसार पहले ही रास्ता दर्ज न करने की अभिशंषा की गयी थी। इसके अलावा खातेदार हरिराम उर्फ हीराराम के खेत खसरा नम्बर 160 के पूर्व में सींवा जोड़ खेत खसरा नम्बर 159 है। जिस खेत में से गैर.मु. रास्ता खसरा नम्बर 529/159 मौजूद है। जिस बाबत कोई रिपोर्ट गिरदावर ने अपनी मौका रिपोर्ट में नही दी तथा यह भी अंकित नही किया जो प्रचलित रास्ता बता रहे है वह कहा से शुरू होकर कहा तक जाता है खेत खसरा नम्बर 159 में जो रास्ता खसरा नम्बर 529/159 मौजूद है उसी रास्ते को खातेदार हरिराम के खेत खसरा नम्बर 160 में गलत रूप से दर्शा कर गलत रिपोर्ट की गयी है। इसलिए आदेश अपास्त होने योग्य है। अपीलांटस् की बहिन/पुत्री योगिता आज यहां नही होने के कारण उसे रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदार हरिराम उर्फ हीराराम, जो की अपीलांटस् का पिता/पति है, कि मृत्यु दिनांक 13.02.2024 को हो गयी जो चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 12.02.2024 के दूसरे दिन हुयी। अपीलांटस् ने स्व० हरिराम उर्फ हीराराम की विरासत का नामान्तकरण खुलने के बाद जमाबंदी की नकल दिनांक 06.05.2024 को निकलवायी तब उसमें रास्ते के कटाण का अंकन मिला तब चुनौतिग्रस्त आदेश की नकल देने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन दिनांक 06.05.2024 को प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 07.05.2024 को प्राप्त हुयी तथा पहली बार चुनौतिग्रस्त निर्णय की जानकारी हुयी, जानकारी के हिसाब से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है फिर भी आवेदन

अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपीलान्ट्स की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर चुनौतिग्रस्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 12.02.2024 बमुकदमा संख्या...../2024 को निरस्त किया जावें तथा चुनौतिग्रस्त आदेश की पालना में जो इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा में किये गये है, उन्हें हटाया जाकर रिकॉर्ड पूर्ववत किया जावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट के पिता हीरा उर्फ हरिराम की खातेदारी में रही भूमि खसरा नम्बर 160 में से कदीमी एवं प्रचलित रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने बाबत् निमित निर्णय पारित किया गया है। उक्त कदीमी प्रचलित रास्ता अपीलांट के पूर्वज हरिराम की खातेदारी में रहे खेत खसरा नम्बर 160 की उतरी पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे चलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 660/158 में प्रवेश करता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 एवं उसके विक्रेतागण सदैव से ही खेत खसरा नम्बर 660/158 में आवागमन हेतु उक्त प्रचलित रास्ते को ही उपयोग में लेते रहे है, इस कारण प्रस्तुत अपील में पारित होने वाले निर्णय से अपीलांट के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 06.05.2024 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प भैरूपुरा में पटवारी हल्का सबलपुरा, भू0अ0 निरीक्षक वृत सबलपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम भैरूपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर के आराजी खसरा नम्बर 160 कुल रकबा 3.50 है0 में से रकबा 0.0934 है0 में मौके पर प्रचलित रास्ता है। उक्त प्रचलित रास्ते का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस आदि पत्रादि के साथ उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा ग्राम भैंरूपुरा तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 160 के संबंध में राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते बाबत् दिये गये आदेशों एवं निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के द्वारा अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव के अनुसार तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/23/181 दिनांक 16.05.2023 के साथ संलग्न भू.अ.नि. रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की 155 मीटर लम्बाई तथा 04 मीटर चौड़ाई कुल 620 वर्गमीटर अर्थात् 0.0620 हेक्टेयर भूमि रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान् की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर, प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने एवं गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहने तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/23/181 दिनांक 16.05.2023 के साथ संलग्न भू.अ.नि. रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तारीख .....